



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

पत्रांक: एफ(20)आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2020/ 337 दिनांक 10-3-2021

आदेश


सत्र 2021-22 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने की पूर्व निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्र.	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	संशोधित तिथियां	शुल्क विवरण
1	समस्त प्रकरण	17 फरवरी, 2021 से 09 मार्च, 2021 तक	17 फरवरी, 2021 से 16 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	समस्त प्रकरण	10 मार्च 2021 से 23 मार्च, 2021 तक	17 मार्च 2021 से 23 मार्च, 2021 तक	सामान्य आवेदन शुल्क एवं रूपयें 25000/- विलम्ब शुल्क
3	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ; पूर्व संचालित संकाय/विषय में ) / निरीक्षण शुल्क	24 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2021 तक	24 मार्च, 2021 से 31 मार्च 2021 तक	सामान्य आवेदन-शुल्क + रूपये 25000/- विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/- अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

नोट:-


1. संस्था निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदन को लॉक एंड सबमिट अवश्य करे। ऑनलाइन आवेदन की मात्र ड्राफ्ट कॉपी मान्य नहीं होगी।
2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी निरीक्षण शुल्क हेतु ऑनलाईन सूचना प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
3. आवश्यक होने पर समय-समय पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(डॉ अल्पना व्यास)  
संयुक्त निदेशक(नि.सं.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. सम्बन्धित निजी महाविद्यालयों को भेज कर लेख है कि आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।
5. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(नि.सं.)